



2026: AHC-LKO: 20229

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं0- 1891/2026

सैफ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

..... विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : रवीन्द्र कुमार द्विवेदी

विपक्षी पक्षकार के : शासकीय अधिवक्ता

अधिवक्ता

न्यायालय सं0-23**माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती**

योजित किया गया पूरक शपथपत्र आज अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, की धारा 2 (ख) (1), 2(ख) (11) एवं 3 के अन्तर्गत मामला अपराध सं0 01/2026, पुलिस स्थानक- गौरीगंज, जनपद अमेठी में जमानत की मांग करते हुए योजित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि गिरोह-लेखाचित्र में, आवेदक के विरुद्ध केवल दो मामले दर्शित हैं, जिनमें वह जमानत पर है। जमानत आदेश जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में योजित शपथपत्र संलग्नक सं0 3 के रूप में अभिलेख पर हैं। गिरोह-लेखाचित्र में उल्लिखित मामलों से अलग, आवेदक का सात अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है जिनकी जमानत प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर 11 में साथ ही पूरक शपथपत्र के प्रस्तर 3 में विधिवत व्याख्या की गई है। आवेदक 22.01.2026 से कारागार में है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) (ख) की आवश्यकता के निर्बंधन में प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का न्यायिक अभिरक्षा से भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया परंतु उपर्युक्त तथ्यों का प्रतिवाद नहीं कर सके जैसा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई।

तथ्यों पर समयक विचारोपरांत कि आवेदक 22.01.2026 से कारागार में है; आवेदक को गिरोह-लेखाचित्र में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर छोड़ा गया है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय अभिव्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला होना पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकृत** किया जाता है। है।

उपर्युक्त मामला अपराध/प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या में सम्मिलित आवेदक-सैफ उसके निजी मुचलके और निम्नांकित शर्तों जिन्हें न्याय के हित में अध्यारोपित किया जा रहा है के साथ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि के दो जमानतदारों की प्रस्तुति पर जमानत पर छोड़ा जाये:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ न ही डराएगा।
- iii. आवेदक मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि न्यायालय से या किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके या साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ कर सके।
- iv. आवेदक उस प्रभाव तक प्रतिज्ञा-पत्र योजित करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जामनत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में समझे जाने के लिए खुला रहेगा और विधि के अनुसरण में आदेश कर पारित सकेगा।
- v. आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (4) (ख) की आवश्यकता के निर्बंधनों में भी एक प्रतिज्ञा-पत्र योजित करेगा कि वह किसी मामले में लिप्त नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- vi. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसरण में कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- vii. यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के क्रम में धारा 84, बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध विधि के अनुसरण में धारा 209 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत कार्यवाहियां आरंभ करेगा।

मार्च 19, 2026

(न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती)

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।